

29<sup>5</sup>/<sub>18</sub>

फावली राजस्व सैप के प्रेश)  
 अवलोकन किया गया) प्रथम  
 दृष्टया सुविधा का संतुलन  
 प्राप्ति के पक्ष में साक्ष्य  
 नहीं होता है। प्राप्ति में  
 आदिनांक तक अप्राप्यता की  
 तलकी प्रेश नहीं की है।  
 अतः प्राप्ति फावली पर  
 पर स्वीकृत किया जाना है।  
 फावली में प्रेश हुआ होगा  
 मन्त्रालय के काम हो या नकली  
 प्रारूप प्रेश हो।

निदेश (अल्प) राजस्व  
 प्रशासनिक विभाग, दिल्ली  
 दिनांक 29/5/18